संख्या– 43 /71–4–2022–एन–4/2017टी0सी0

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4

लखनऊ : दिनांक 08 मार्च, ~~फरवरी~~, 2022

विषयः– बोधिसत्व चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित मेयो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गदिया, फैजाबाद रोड, बाराबंकी में बी0एससी0–नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स में सीट वृद्धि हेतु अनिवार्यता/अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1/22, दिनांक 03.01.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त बोधिसत्व चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित मेयो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गदिया, फैजाबाद रोड, बाराबंकी में बी0एससी0–नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स में 50 सीट से बढ़ाकर 70 सीट (20 सीट वृद्धि) प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु अनिवार्यता/अनापत्ति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि संस्था द्वारा मानकानुसार निर्धारित सीटों हेतु अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ से लेटर ऑफ कन्सेन्ट का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने संबंधी शर्त की पूर्ति इस अनिवार्यता/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्ति के 15 कार्य दिवस के अन्दर संस्था द्वारा करायी जायेगी तथा इसकी सूचना भी उक्त समयावधि में चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी को उपलब्ध करायी जाएगी। उपर्युक्तानुसार निर्धारित समयावधि में इस शर्त की पूर्ति करते हुए एतद्संबंधी प्रमाण पत्र/सूचना उपलब्ध न कराये जाने की दशा में निर्गत किया जा रहा यह अनिवार्यता/अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।

2– इसके साथ ही संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाः–

(1) संस्था द्वारा प्रशिक्षण हेतु सभी मानक/औपचारिकताएं पूर्ण कर इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली से निरीक्षण कराकर अनुमति/मान्यता प्राप्त कर प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की कार्यवाही की जायेगी।

(2) इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षणोपरान्त संस्था को जितनी सीट अनुमन्य की जायेंगी उतनी ही सीटों पर संस्था द्वारा प्रवेश लिया जायेगा।

(3) संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली तथा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग प्रशिक्षण के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों, मानकों एवं चयन प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–4447/71–3–05–141/05 दिनांक 14.10.2005 यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 15.01.2007 तथा 23.01.2008 में निहित प्राविधानों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा एक नीति बनाकर मानकों के अनुपालन हेतु संस्था का निरीक्षण कराया जायेगा। संस्था द्वारा राज्य सरकार/इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल, नई दिल्ली/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/संबंधित विश्वविद्यालय के किसी भी दिशा–निर्देशों/मानकों का उल्लंघन करने पर संस्था की अनापत्ति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

3– कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या– 43 (1)/71–4–2022–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रबन्धक, बोधिसत्व चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित मेयो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गदिया, फैजाबाद रोड, बाराबंकी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

Scanned with OKEN Scanner